

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 8/2023

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी -

अनिल कुमार पुत्र भंवरलाल जाति
जैन निवासी कलालों का वास,
गंगा स्कूल के पास, बाड़मेर
(मैसर्स पदमावती सेल्स कॉर्पोरेशन
एच-2 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर
का विक्रेता एवं मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स पदमावती सेल्स कॉर्पोरेशन एच-2 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **किशमिश लूज**, एक खुले गत्ता कार्टून में लगभग 05 किलो रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 01 किलो **किशमिश लूज** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-1873** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व. विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मेदा** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2022 में उक्त खाद्य पदार्थ **किशमिश लूज** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का




उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि विप्रार्थी उपर्युक्त कार्यवाही किये जाने के समय मौके पर उपलब्ध नहीं था। विप्रार्थी को इस प्रकरण में गलत पक्षकार बनाया गया है। खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रकरण में की गई एकपक्षीय कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों के अभाव में उचित नहीं है। प्रकरण में दर्शाई गई समस्त कार्यवाही परिवादी द्वारा कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। विप्रार्थी मात्र एक व्यापारी है जो माल को खरीदकर उसका विक्रय करता है, उसे सही व नकली की परख नहीं है। अगर कोई माल अवमानक होना पाया जाता है तो उसकी जवाबदारी विप्रार्थी की नहीं है। खाद्य निरीक्षक द्वारा लिया गया नमूना किशमिश एक पौधे से तैयार फल होता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती है। ऐसे में प्रकृति से उत्पादित खाद्य पदार्थ का नमूना लेना एक कानूनी भूल है। लिहाजा विप्रार्थी के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 28.02.2023 में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार **Damaged Raisins(m/m)** का मानक स्तर **Not more than 2.0%** के मुकाबले **37.40%** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षण में लिखित जवाब प्रस्तुत कर खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही को गलत ठहराया है। खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के संबंध में अपने जवाब में कोई ठोस एवं तथ्यपरक कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।



4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 50000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर